उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

राज्य सात वाद संख्या– 10/2013
राज्य बनाम राहुल कुमार वगैरह

–: आदेश :–

29.10.13 यह वाद पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के पत्रांक 129/अप0 शा0 दिनांक 24.01.2013 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6A के अन्तर्गत राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया एवं धारा–6B के अन्तर्गत विपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विपक्षी दिनांक 30.04.2013, 24.05.2013, 14.06.2013, 28.06.2013, 02.08.2013, 10.09.2013, 27.09.2013 को न्यायालय में उपस्थित हुए, लेकिन विपक्षी के द्वारा जप्त सामानों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी के द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के गैस का गोदाम रखना, रिफिलिंग करना व बेचने का काम करते थे।

अतः उक्त विवेचित तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में रामगढ़ थाना काण्ड संख्या–298/12 दिनांक 02.11.2012 में जप्त सामानों को राज्यसात किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।